

डॉ. चक्रधर पासवान

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

8 मार्च 1988

[ए.पी. सेन एवं बी.सी. रे, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधान — अनुच्छेद 16(4) — पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए पदों एवं नियुक्तियों का आरक्षण, अनुच्छेद 16(1) के साथ पढ़ा जाए — सार्वजनिक नियोजन से संबंधित सभी नागरिकों को समान अवसर — अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण इतना अत्यधिक नहीं होना चाहिए कि वह समान अवसर की गारंटी को वास्तव में समाप्त कर दे — किसी संवर्ग में एकमात्र पद का अनुसूचित जाति उम्मीदवार के लिए आरक्षण 100 प्रतिशत आरक्षण के समतुल्य है — 100 प्रतिशत आरक्षण अत्यधिक है तथा अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत अनुज्ञेय नहीं है — किसी विशेष संवर्ग में प्रथम रिक्ति का अनुसूचित जाति उम्मीदवार के लिए आरक्षण अनुच्छेद 16(1) का उल्लंघन है।

बिहार राज्य में स्वदेशी चिकित्सा पद्धति का एक निदेशालय था जो इसके स्वास्थ्य विभाग का एक हिस्सा था और एक डॉ. नागेश द्विवेदी इसके निदेशक थे। 6.5.1978 को राज्य सरकार ने स्वदेशी चिकित्सा का एक अलग निदेशालय बनाया, जिसके निदेशक आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों में से किसी एक पद्धति से होने थे। अलग निदेशालय के निर्माण के समय, सरकार ने शेष दो पद्धतियों में से प्रत्येक के लिए उप निदेशकों के दो पदों को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने इस बीच अनुच्छेद 16(4) के तहत पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए पदों और नियुक्तियों में आरक्षण की नीति को लागू करने के लिए एक 50 बिंदु रोस्टर निर्धारित किया था। यह निर्धारित किया गया था कि 'यदि किसी श्रेणी में, पहली बार केवल एक रिक्ति है, तो उसे अनारक्षित माना जाएगा और दूसरी बार भी, यदि केवल एक रिक्ति हो, तो उसे आरक्षित माना जाएगा'। इस रोस्टर पर कार्य करते हुए

सरकार ने उप निदेशक (होम्योपैथिक) का पद एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित कर दिया। सरकार द्वारा संपर्क किए जाने पर लोक सेवा आयोग ने अनुसूचित जाति के सदस्यों से आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया और अपीलकर्ता को पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया। उत्तरदाता संख्या 4 ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर कर उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता के चयन को चुनौती दी। अक्टूबर, 1982 में उप निदेशक (आयुर्वेदिक) का एक अतिरिक्त पद सृजित किया गया और भरा गया।

उच्च न्यायालय ने विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को स्वीकार कर लिया और उक्त विज्ञापन और अपीलकर्ता के परिणामी नियुक्ति आदेश को अभिखंडित कर दिया। उच्च न्यायालय का यह विचार था कि पदों और नियुक्तियों के आरक्षण के लिए निदेशक और तीन उप निदेशकों के पदों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। न ही उप निदेशकों (होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी) के पदों को आरक्षण के उद्देश्यों के लिए समूहित किया जा सकता था, जो चिकित्सा की अलग और स्वतंत्र पद्धतियां हैं।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि स्वदेशी चिकित्सा निदेशालय में चार पद थे और सभी पद वर्ग-1 के पद थे और इसलिए 50 बिंदु रोस्टर के अनुसार चक्रीय प्रणाली द्वारा निदेशक के पद को अनारक्षित माने जाने के बाद, उप निदेशक (होम्योपैथिक) का पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए सही ढंग से आरक्षित किया गया था।

अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित: निदेशक के पद और उप निदेशकों के पद सेवा के विभिन्न संवर्ग का गठन करते हैं। यह स्पष्ट है कि स्वदेशी चिकित्सा निदेशक का पद, जो निदेशालय में सर्वोच्च पद है और उच्च श्रेणी या वेतनमान वाला है, उसे संभवतः निचले श्रेणी या वेतनमान वाले उप निदेशकों के पदों के साथ समान नहीं माना जा सकता था। इसे देखते हुए, 50 बिंदु रोस्टर के अनुसार, यदि किसी विशेष संवर्ग में एक अकेला पद रिक्त होता है, तो पहली रिक्ति के मामले में इसे सामान्य माना जाना चाहिए। ऐसा होने के कारण, राज्य सरकार उप

निदेशक (होम्योपैथिक) के पद के आरक्षण का निर्देश नहीं दे सकती थी, जो एक विशेष संवर्ग यानी उप निदेशकों के संवर्ग में पहली रिक्ति थी, उन उम्मीदवारों के लिए जो अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं। ऐसा आरक्षण 50 बिंदु रोस्टर में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था और संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुमति योग्य नहीं था और स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रोजगार से संबंधित सभी नागरिकों को समान अवसर की अनुच्छेद 16(1) में निहित गारंटी का उल्लंघन था। अनुच्छेद 16 का खंड (4) अनुच्छेद 16(1) के परंतुक के अपवाद के रूप में है। उच्च न्यायालय ने सही माना कि उप निदेशक (होम्योपैथिक) के पद का आरक्षण 100% आरक्षण के समान था जो अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुमति योग्य नहीं था क्योंकि अन्यथा यह अनुच्छेद 16(1) के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामले में समान अवसर की गारंटी को पूरी तरह से भ्रामक और अर्थहीन बना देगा। [137 एफ-एच; 138 ए-सी]

यदि संवर्ग में केवल एक ही पद है, तो संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत कोई आरक्षण नहीं हो सकता है। 50 बिंदु रोस्टर के लागू होने के लिए आरक्षण की पूरी अवधारणा यह है कि वहां एक से अधिक पद हैं, और जैसा कि एम.आर. बालाजी के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, आरक्षण 50% तक हो सकता है। सरकार, उदाहरण के लिए, यह घोषित नहीं कर सकती कि स्वदेशी चिकित्सा निदेशक का पद अनुसूचित जातियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगा। निदेशालय एक सहायक चिकित्सकीय सेवा है जिसका प्रमुख निदेशक है और उसके अधीन तीन अलग और स्वतंत्र विषयों यानी होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक से संबंधित तीन उप निदेशक हैं। सहायक चिकित्सकीय प्रणाली में उप निदेशकों के तीनों पद तीन अलग-अलग प्रणालियों से संबंधित हैं और इसलिए उनमें से प्रत्येक अपने आप में एक अलग पद है। हमारे विचार में, वही सिद्धांत लागू होने चाहिए जैसा कि निदेशक के मामले में होता है। हम इस पहलू पर कोई राय व्यक्त करने से बचते हैं कि क्या उप निदेशकों जैसे अलग पदों को चक्रीय प्रणाली द्वारा 50 बिंदु रोस्टर के

अधीन किया जा सकता है क्योंकि यह वर्तमान मामले में उत्पन्न नहीं होता है। यह मानते हुए कि 50 बिंदु रोस्टर लागू होता है, स्वीकार्य रूप से, उप निदेशकों के संवर्ग में पहली रिक्ति उप निदेशक (होम्योपैथिक) की थी और इसे अनारक्षित माना जाना था, दूसरी आरक्षित और तीसरी अनारक्षित। रोस्टर के अनुसार संवर्ग में उप निदेशक (होम्योपैथिक) की पहली रिक्ति को अनारक्षित माने जाने के कारण, इसे सभी के लिए खुला रखना था। इसलिए अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार को दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी थी।[138 सी-जी]

होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक उप निदेशकों के तीन पद अलग और स्वतंत्र हैं क्योंकि वे अलग-अलग विषयों से संबंधित हैं और प्रत्येक अपने आप में एक अलग पद है जो एक ही संवर्ग में है। अलग पदों का कोई समूहीकरण नहीं हो सकता है भले ही वे एक ही वेतनमान पर हों। सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पर विवरणिका में निहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों और नियुक्तियों के आरक्षण से संबंधित भारत सरकार के निर्देश, जो अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत समानता खंड और अनुच्छेद 335 की आवश्यकताओं, अर्थात् प्रशासन की दक्षता के रखरखाव के अनुरूप अनुच्छेद 16(4) के शासनादेश को पूरा करने के लिए जारी किए गए हैं, स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि आरक्षण के उद्देश्यों के लिए एक या अधिक अलग पदों का कोई समूहीकरण नहीं हो सकता है। उदाहरणार्थ, चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक समान श्रेणी एवं वेतनमान पर नियुक्त होते हैं, किन्तु हृदय रोग के प्राध्यापक, शल्य चिकित्सा के प्राध्यापक, स्त्री रोग के प्राध्यापक के पद विशिष्ट विषयों से संबंधित होते हैं और इस प्रकार प्रत्येक पद एक पृथक (अलग-थलग) पद होता है। [1138 एच; 1139 ए-एफ]

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(1) तथा अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है और इसलिए पिछड़े वर्गों के पक्ष में पदों एवं नियुक्तियों में आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि वह वस्तुतः लोक नियोजन के क्षेत्र में समान अवसर की गारंटी को समाप्त कर दे या कम-से-कम उसे मात्र औपचारिक बना

दे। हम इस न्यायालय के किसी ऐसे निर्णय से अवगत नहीं हैं जिसमें किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का 100% तक आरक्षण अनुमोदित किया गया हो, सिवाय अग्रेषण नियम के अनुप्रयोग के संदर्भ में। [1139 जी-एच]

एम.आर. बालाजी एवं अन्य बनाम मैसूर राज्य, [1963] पूरक 1 एस.सी.आर. 439; टी. देवदासन बनाम भारत संघ एवं अन्य, [1964] 4 एस.सी.आर. 680; केरल राज्य एवं अन्य बनाम एन.एम. थॉमस एवं अन्य, [1976] 1 एस.सी.आर. 906; अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ (रेलवे) बनाम भारत संघ एवं अन्य, [1981] 2 एस.सी.आर. 185; कर्नाटक राज्य बनाम शिवाजी वाई. गार्गे (दीवानी अपील संख्या 4117/1984, निर्णय दिनांक 19 अक्टूबर, 1984); के.सी. वसंत कुमार एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, [1985] पूरक एस.सी.सी. 714 तथा आरती राय चौधरी बनाम भारत संघ एवं अन्य, [1974] 1 एस.सी.आर. 1—संदर्भित।

दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील संख्या 2315/1981।

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 16.05.1980 के निर्णय एवं आदेश (रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 1430/1979) से उत्पन्न।

अपीलकर्ता की ओर से: एस.आर. श्रीवास्तव।

उत्तरदाताओं की ओर से: डी. गोवरधन तथा ए. शरण।

न्यायालय का निर्णय सेन, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया—

यह विशेष अनुमति से अपील पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 16 मई 1980 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध है, जिसमें उत्तरदाता संख्या 4 डॉ. कामेश्वर प्रसाद द्वारा दायर विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को स्वीकार करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी आक्षेपित विज्ञापन संख्या 121/1978 को, जो स्वदेशी चिकित्सा निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार राज्य में उप निदेशक (होम्योपैथिक) के पद के लिए अनुसूचित जाति उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता था, अभिखंडित कर दिया गया तथा राज्य सरकार के दिनांक 30 मई 1979

के परिणामी आदेश को, जिसके द्वारा अपीलकर्ता डॉ. चक्रधर पासवान को उक्त पद पर नियुक्ति दी गई थी, भी अभिखंडित कर दिया गया।

विवाद की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए कुछ आवश्यक तथ्य निम्नलिखित हैं। 1974 से पूर्व स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों का निदेशालय स्वास्थ्य विभाग का हिस्सा था। दिनांक 14 मार्च 1974 को राज्य सरकार ने डॉ. नागेश द्विवेदी, प्रबंधक, राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा फार्मसी, बिहार को तदर्थ आधार पर निदेशक (स्वदेशी चिकित्सा) के पद पर नियुक्त किया। उन्होंने अगले दिन पदभार ग्रहण किया तथा दिनांक 11 दिसंबर 1976 को उक्त पद पर स्थायी कर दिए गए। राज्य सरकार ने दिनांक 6 मई 1978 को स्वदेशी चिकित्सा के लिए पृथक निदेशालय बनाने का निर्देश दिया, जिसमें निदेशक आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक में से किसी एक प्रणाली से होना था। पृथक निदेशालय के सृजन के समय सरकार ने शेष दो प्रणालियों के लिए दो-दो उप निदेशकों के पद स्वीकृत किए। राज्य सरकार ने इस बीच इस न्यायालय के *एम.आर. बालाजी एवं अन्य बनाम मैसूर राज्य*, [1963] पूरक 1 एस.सी.आर. 439 के निर्णय के आधार पर दिनांक 8 नवंबर 1975 के अपने परिपत्र द्वारा पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए पदों एवं नियुक्तियों में आरक्षण की नीति लागू करने हेतु 50 बिंदु रोस्टर निर्धारित किया था। इसमें यह निर्धारित किया गया था कि 'यदि किसी संवर्ग में पहली बार केवल एक रिक्ति हो तो वह आरक्षित नहीं मानी जाएगी तथा दूसरी बार भी यदि केवल एक रिक्ति हो तो वह आरक्षित मानी जाएगी'। रोस्टर पर कार्य करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक) के संयुक्त सचिव ने दिनांक 13 जून 1978 को उप निदेशक (होम्योपैथिक) के पद को अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी चिकित्सा निदेशालय में तीन पद स्वीकृत किए गए थे—(1) निदेशक स्वदेशी चिकित्सा (2) उप निदेशक (होम्योपैथिक) तथा (3) उप निदेशक (यूनानी)। ये सभी वर्ग-1 के पद थे। उन्होंने सुझाव दिया कि नियुक्तियों के रोस्टर के अनुसार इन तीन पदों में से पहला अर्थात् निदेशक का पद, जो डॉ. नागेश द्विवेदी द्वारा भरा गया था,

उसे गैर-आरक्षित माना जाए, दूसरा अनुसूचित जाति उम्मीदवार के लिए आरक्षित माना जाए तथा तीसरा गैर-आरक्षित माना जाए। उनके अनुसार आरक्षण के दृष्टिकोण से सभी पदों को एक साथ समूहित किया जा सकता था। डॉ. जुगल किशोर, सरकार के सलाहकार से परामर्श के बाद अर्हताएँ निर्धारित करने के पश्चात् स्वास्थ्य मंत्री ने दिनांक 28 जुलाई 1978 को उप निदेशक (होम्योपैथिक) के पद को अनुसूचित जाति उम्मीदवार के लिए आरक्षित करने का आदेश पारित किया। लोक सेवा आयोग ने सरकार के अनुरोध पर विवादित विज्ञापन जारी कर अनुसूचित जातियों के सदस्यों से आवेदन आमंत्रित किए तथा अपीलकर्ता का उक्त पद पर नियुक्ति हेतु चयन किया गया। यह आशंका करते हुए कि सरकार अपीलकर्ता को पद पर नियुक्त कर देगी, उत्तरदाता संख्या 4 ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी करने की प्रार्थना करते हुए याचिका दायर की। तथापि सरकार ने दिनांक 30 मई 1979 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को उप निदेशक (होम्योपैथिक) के पद पर नियुक्त किया तथा उन्होंने उक्त पद का पदभार ग्रहण किया तथा बाद में उन्हें उक्त पद पर स्थायी कर दिया गया। यद्यपि अपीलकर्ता की नियुक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया गया है, तथापि वे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26 जून 1980 को प्रदत्त अंतरिम स्थगन के बल पर पद पर बने हुए हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बाद उप निदेशक (यूनानी) के पद को भरने के लिए कदम उठाए गए थे और डॉ. मोहम्मद कमरुज्जमा कमर, प्राध्यापक, राजकीय तिब्बिया कॉलेज, पटना को उस पद पर पदोन्नत और नियुक्त किया गया था, और वह नियमित आधार पर कार्य कर रहे हैं। 5 अक्टूबर, 1982 को सरकार ने उप निदेशक (आयुर्वेदिक) के अतिरिक्त पद को मंजूरी दी और इस पद को डॉ. (श्रीमती) उमा सिन्हा की पदोन्नति द्वारा भरा गया, जो अपने स्वयं के पद प्राध्यापक, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना के प्रभार के अतिरिक्त इस पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं। इस प्रकार, वर्तमान में स्वदेशी चिकित्सा निदेशालय में चार पद हैं, जो सभी प्रथम श्रेणी के पद हैं। इनमें से, उप निदेशक

(होम्योपैथिक) का पद अपीलकर्ता के पास है जो अनुसूचित जाति से संबंधित है, और निदेशक के पद सहित शेष तीन पद सामान्य श्रेणी के सदस्यों के पास हैं।

ललित मोहन शर्मा, न्यायमूर्ति ने खंडपीठ की ओर से बोलते हुए यह निर्धारित किया कि (1) अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए उप निदेशक (होम्योपैथिक) के एकमात्र पद का आरक्षण 100% आरक्षण के समान है। (2) उप निदेशक (होम्योपैथिक) और उप निदेशक (आयुर्वेदिक) के दो पदों को पदों के आरक्षण के उद्देश्यों के लिए एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। और (3) उप निदेशक (होम्योपैथिक) के पद को आरक्षित करने वाला आदेश 50 बिंदु रोस्टर पेश करने वाले सरकारी परिपत्र में निहित सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जिसके अनुसार, यदि किसी विशेष संवर्ग में एक अकेला पद रिक्त होता है, तो पहली रिक्ति के मामले में इसे सामान्य माना जाना चाहिए और दूसरी बार जब फिर से एक अकेला पद रिक्त होता है, तो उसे आरक्षित माना जाना चाहिए। विद्वान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि यह निर्धारित किया गया है कि यदि किसी विशेष संवर्ग में केवल एक पद है, तो दूसरी बार भरे जाने के मामले में इसे आरक्षित माना जाएगा, अर्थात् पहली बार इसे सामान्य सीट के रूप में माना जाना चाहिए। सार में, उच्च न्यायालय का यह विचार था कि पदों और नियुक्तियों के आरक्षण के लिए निदेशक और तीन उप निदेशकों के पदों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता था। न ही होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी के उप निदेशकों के पदों को, जो चिकित्सा की अलग और स्वतंत्र प्रणालियों का गठन करते हैं, आरक्षण के उद्देश्यों के लिए समूहित किया जा सकता था।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता डॉ. वाई.एस. चितले का मुख्य तर्क यह है कि स्वदेशी चिकित्सा निदेशालय में चार पद हैं और सभी पद प्रथम श्रेणी के पद हैं और इसलिए 50 बिंदु रोस्टर के अनुसार, चक्रीय प्रणाली द्वारा निदेशक के पद को अनारक्षित माने जाने के बाद, उप निदेशक (होम्योपैथिक) का पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए सही ढंग से आरक्षित किया गया था। उनके अनुसार, उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि

अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए उप निदेशक (होम्योपैथिक) के पद का आरक्षण 100% आरक्षण के समान है और संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ पठित अनुच्छेद 16(1) के तहत समानता खंड के उल्लंघन के दोष से ग्रस्त है। तर्क के उत्तर में, उत्तरदाता संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री एल.एन. सिन्हा प्रस्तुत करते हैं कि पहली बात तो यह है कि निदेशक और उप निदेशकों के पद एक ही संवर्ग में नहीं हैं और इसलिए उन्हें अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण की नीति को लागू करने के उद्देश्यों के लिए समूहित नहीं किया जा सकता था, और दूसरी बात यह है कि स्वदेशी चिकित्सा की तीन प्रणालियाँ, अर्थात् होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा की अलग और स्वतंत्र प्रणालियाँ हैं और इस प्रकार 50 बिंदु रोस्टर लागू नहीं किया जा सकता था।

चूंकि हमें इस बारे में संदेह और कठिनाई थी कि क्या निदेशक और उप निदेशकों के पद एक ही संवर्ग के पद थे, हमने इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए पार्टियों से और बेहतर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। राज्य सरकार ने अब 10 नवंबर, 1987 के बिहार राज्य के स्वास्थ्य विभाग में विधि अधिकारी का अतिरिक्त शपथ पत्र अभिलेख पर रखा है। शपथ पत्र कुछ तथ्यों का खुलासा करता है, अर्थात्: (1) स्वदेशी चिकित्सा निदेशक का वेतनमान उप निदेशकों के वेतनमान से भिन्न है। (2) उप निदेशक (होम्योपैथिक), उप निदेशक (आयुर्वेदिक) और उप निदेशक (यूनानी) के पद 1900-75-2500 रुपये के वेतनमान में हैं। (3) हालांकि तीनों उप निदेशकों का वेतनमान समान है, लेकिन पद स्वदेशी चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं, अर्थात् होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी के चिकित्सकों द्वारा भरे जाते हैं। (4) निदेशक का पद स्वदेशी चिकित्सा निदेशालय में सर्वोच्च पद है और उक्त पद 2225-75-2675 रुपये के उच्च वेतनमान में है। (5) यद्यपि निदेशालय में निदेशक और उप निदेशकों के पद एकीकृत श्रेणी के नहीं हैं, लेकिन आरक्षण की मात्रा निर्धारित करने के उद्देश्य से तीन पदों अर्थात् निदेशक, उप निदेशक (होम्योपैथिक), और उप निदेशक (यूनानी) को एक साथ समूहित किया गया था क्योंकि वे सभी प्रथम श्रेणी के पद थे। (6) उप

निदेशक (आयुर्वेदिक) का नवनिर्मित पद जो वर्तमान में रिक्त है, 50 बिंदु रोस्टर के सिद्धांत का पालन करके भरा जा रहा है। इन तथ्यों का अपीलकर्ता द्वारा किसी भी प्रत्युत्तर-शपथ पत्र के माध्यम से खंडन नहीं किया गया है।

हमारे निर्धारण के लिए जो प्रश्न आते हैं वे हैं: (1) क्या उप निदेशक (होम्योपैथिक) का पद एक 'अलग पद' है और इसलिए अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए पद का आरक्षण 100% आरक्षण के समान है और इसलिए इसे अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुमति योग्य नहीं घोषित किया जाना चाहिए? (2) क्या 50 बिंदु रोस्टर के अनुसार आरक्षण की नीति को लागू करने के उद्देश्यों के लिए निदेशक और तीन उप निदेशकों के पदों को एक साथ समूहित किया जा सकता था। और (3) क्या स्वदेशी चिकित्सा निदेशालय में निदेशक और तीन उप निदेशकों के पद, हालांकि वे अलग-अलग श्रेणी के पद हैं, फिर भी केवल इसलिए आरक्षण के उद्देश्यों के लिए एक साथ जोड़े जा सकते हैं क्योंकि वे प्रथम श्रेणी के पद हैं?

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क इस दोष से ग्रस्त है कि यह इस बात को नजरअंदाज करता है कि हालांकि स्वदेशी चिकित्सा निदेशालय में चार पद शामिल हैं, अर्थात् निदेशक और तीन उप निदेशक, जो प्रथम श्रेणी के पद हैं, निदेशक और उप निदेशकों के पद एक 'संवर्ग' का गठन नहीं करते हैं। वे एक ही सेवा के सदस्य हैं लेकिन एक ही संवर्ग से संबंधित नहीं हैं। 50 बिंदु रोस्टर के अनुसार, यदि किसी विशेष श्रेणी में एक अकेला पद रिक्त होता है, तो पहली रिक्ति के मामले में इसे अनारक्षित अर्थात् सामान्य माना जाना चाहिए और दूसरी बार जब फिर से एक अकेला पद रिक्त होता है, तो उसे आरक्षित माना जाना चाहिए। स्वीकार्य रूप से, निदेशक का पद स्वदेशी चिकित्सा निदेशालय में सर्वोच्च पद है और 2225-75-2675 रुपये के उच्च वेतनमान या श्रेणी में है, जबकि उप निदेशकों के पद 1900-75-2500 रुपये के वेतनमान या श्रेणी में हैं। सेवा न्यायशास्त्र में, 'संवर्ग' शब्द का एक निश्चित कानूनी अर्थ है। कानूनी अर्थ में, 'संवर्ग' शब्द 'सेवा' का पर्यायवाची नहीं है। मौलिक

नियम 9(4) 'संवर्ग' शब्द को एक सेवा की संख्या या सेवा के हिस्से के रूप में परिभाषित करता है जिसे एक अलग इकाई के रूप में स्वीकृत किया गया है। निदेशक का पद जो निदेशालय में सर्वोच्च पद है, उच्च श्रेणी या वेतनमान पर है, जबकि उप निदेशकों के पद निचले श्रेणी या वेतनमान में हैं और इसलिए दो अलग-अलग संवर्ग या श्रेणी का गठन करते हैं। सरकार किसी भी विशेष सेवा में प्रशासनिक सुविधा और समीचीनता के अनुसार जितने चाहे उतने संवर्ग गठित करने के लिए स्वतंत्र है और यह नहीं कहा जा सकता कि निदेशालय की स्थापना ने निदेशक और उप निदेशकों के एक संयुक्त संवर्ग का गठन किया क्योंकि पद विनिमेय नहीं हैं और पदधारी समान कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, समान जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं या समान वेतन नहीं पाते हैं। यह निष्कर्ष अनिवार्य है कि निदेशक के पद और उप निदेशकों के पद सेवा के विभिन्न संवर्ग का गठन करते हैं। यह स्पष्ट है कि स्वदेशी चिकित्सा निदेशक का पद, जो निदेशालय में सर्वोच्च पद है और उच्च श्रेणी या वेतनमान वाला है, उसे संभवतः निचले श्रेणी या वेतनमान वाले उप निदेशकों के पदों के साथ समान नहीं माना जा सकता था। इसे देखते हुए, 50 बिंदु रोस्टर के अनुसार, यदि किसी विशेष संवर्ग में एक अकेला पद रिक्त होता है, तो पहली रिक्ति के मामले में इसे सामान्य माना जाना चाहिए। ऐसा होने के कारण, राज्य सरकार उप निदेशक (होम्योपैथिक) के पद के आरक्षण का निर्देश नहीं दे सकती थी, जो एक विशेष संवर्ग यानी उप निदेशकों के संवर्ग में पहली रिक्ति थी, उन उम्मीदवारों के लिए जो अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं। ऐसा आरक्षण 50 बिंदु रोस्टर में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था और संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुमति योग्य नहीं था और स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रोजगार से संबंधित सभी नागरिकों को समान अवसर की अनुच्छेद 16(1) में निहित गारंटी का उल्लंघन था। अनुच्छेद 16 का खंड (4) अनुच्छेद 16(1) के परंतुक के अपवाद के रूप में है। उच्च न्यायालय ने सही माना कि उप निदेशक (होम्योपैथिक) के पद का आरक्षण 100% आरक्षण के समान था जो अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुमति योग्य नहीं था क्योंकि अन्यथा यह अनुच्छेद 16(1) के

तहत सार्वजनिक रोजगार के मामले में समान अवसर की गारंटी को पूरी तरह से भ्रामक और अर्थहीन बना देगा।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में एक और गंभीर दोष यह है कि यह उस मूल सिद्धांत को नजरअंदाज करता है कि यदि संवर्ग में केवल एक ही पद है, तो संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत कोई आरक्षण नहीं हो सकता है। 50 बिंदु रोस्टर के लागू होने के लिए आरक्षण की पूरी अवधारणा यह है कि वहां एक से अधिक पद हैं, और जैसा कि एम.आर. बालाजी के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, आरक्षण 50% तक हो सकता है। सरकार, उदाहरण के लिए, यह घोषित नहीं कर सकती कि स्वदेशी चिकित्सा निदेशक का पद अनुसूचित जातियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगा। निदेशालय एक सहायक चिकित्सकीय सेवा है जिसका प्रमुख निदेशक है और उसके अधीन तीन अलग और स्वतंत्र विषयों यानी होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक से संबंधित तीन उप निदेशक हैं। सहायक चिकित्सकीय प्रणाली में उप निदेशकों के तीनों पद तीन अलग-अलग प्रणालियों से संबंधित हैं और इसलिए उनमें से प्रत्येक अपने आप में एक अलग पद है। हमारे विचार में, वही सिद्धांत लागू होने चाहिए जैसा कि निदेशक के मामले में होता है। यह एक विचारणीय बिंदु है कि क्या उप निदेशकों जैसे अलग पदों को चक्रीय प्रणाली द्वारा 50 बिंदु रोस्टर के अधीन किया जा सकता है। हम इस पहलू पर कोई राय व्यक्त करने से बचते हैं, क्योंकि यह वर्तमान मामले में उत्पन्न नहीं होता है। यह मानते हुए कि 50 बिंदु रोस्टर लागू होता है, स्वीकार्य रूप से, उप निदेशकों के संवर्ग में पहली रिक्ति उप निदेशक (होम्योपैथिक) की थी और इसे अनारक्षित माना जाना था, दूसरी आरक्षित और तीसरी अनारक्षित। रोस्टर के अनुसार संवर्ग में उप निदेशक (होम्योपैथिक) की पहली रिक्ति को अनारक्षित माने जाने के कारण, इसे सभी के लिए खुला रखना था। इसलिए अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार को दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी थी।

एक और पहलू है। होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक उप निदेशकों के तीन

पद अलग और स्वतंत्र हैं क्योंकि वे अलग-अलग विषयों से संबंधित हैं और प्रत्येक अपने आप में एक अलग पद है जो एक ही संवर्ग में है। अलग पदों का कोई समूहीकरण नहीं हो सकता है भले ही वे एक ही वेतनमान पर हों। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों और नियुक्तियों के आरक्षण से संबंधित भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश "सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पर विवरणिका" में निहित हैं। अध्याय 2 भाग 1 नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रतिशत देता है, जिसका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ये निर्देश अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत समानता खंड और अनुच्छेद 335 की आवश्यकताओं, अर्थात् प्रशासन की दक्षता के रखरखाव के अनुरूप अनुच्छेद 16(4) के शासनादेश को पूरा करने के लिए जारी किए गए हैं। कंडिका 2.4 प्रदान करता है कि आरक्षण प्रत्येक श्रेणी या पद पर अलग से लागू किया जाएगा लेकिन अलग पदों को अध्याय 6 में दिए गए प्रावधान के अनुसार समूहित किया जाएगा। अध्याय 6 की कंडिका 6.1 जो हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है, बताती है कि 'जिस मामले में पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, वहां आरक्षण के उद्देश्य से अलग व्यक्तिगत पदों और छोटे संवर्गों को उसी वर्ग के पदों के साथ समूहित किया जा सकता है, जिसमें संबंधित पदों के लिए निर्धारित स्थिति, वेतन और योग्यता को ध्यान में रखा जाता है'। इस उद्देश्य के लिए, यह प्रदान करता है कि 20 से कम पदों वाले संवर्ग या श्रेणी या सेवा के विभाग को एक छोटे संवर्ग के रूप में माना जा सकता है। इस प्रकार गठित समूह में सामान्यतः 25 पद नहीं होने चाहिए। इसके बाद यह जोड़ता है:

"यह इरादा नहीं है कि 'अलग पदों' को केवल अन्य अलग पदों के साथ ही समूहित किया जाना चाहिए।"

यहाँ बिल्कुल यही स्थिति है। भारत सरकार के निर्देश स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि आरक्षण के उद्देश्यों के लिए एक या अधिक अलग पदों का कोई समूहीकरण नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक एक ही श्रेणी या वेतनमान पर होते हैं लेकिन हृदय रोग के प्राध्यापक, शल्य चिकित्सा के प्राध्यापक, स्त्री रोग के प्राध्यापक के पद विशेष विषयों से संबंधित होते हैं और इसलिए प्रत्येक एक अलग पद है।

हमें इस न्यायालय के किसी भी ऐसे निर्णय की जानकारी नहीं है जहाँ नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में 100% की सीमा तक नियुक्तियों या पदों के अत्यधिक आरक्षण को बरकरार रखा गया हो, सिवाय अग्रगण्य नियम के लागू होने के। अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2) का एक अपवाद है और इसलिए पिछड़े वर्गों के पक्ष में पदों और नियुक्तियों के आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति इतनी अत्यधिक नहीं होनी चाहिए जो वास्तव में सार्वजनिक रोजगार के मामले में समान अवसर की गारंटी को मिटा दे या अधिकतम इसे भ्रामक बना दे। *बालाजी* के वाद में जो अब इस विषय पर 'प्रतिष्ठित दृष्टांत' बन गया है, न्यायालय ने अधिमान की सीमा पर एक संवैधानिक सीमा लगाने का प्रयास किया, 'आरक्षण के संकीर्ण आधार' पर नहीं बल्कि नीति के व्यापक आधारों पर। इसने 'समाज के कमजोर वर्गों के हितों' को 'संपूर्ण समुदाय के हितों' के साथ 'समायोजित' करने की बात की और घोषित किया कि एक 'ऐसा सूत्र विकसित किया जाना चाहिए जो कई प्रासंगिक विचारों के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखे'। अत्यधिक आरक्षण के आधार पर और संविधान के साथ धोखाधड़ी के रूप में शैक्षणिक संस्थानों में 68% सीटों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करने वाले सरकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित करते हुए, न्यायालय ने टिप्पणी की:

"सामान्य और व्यापक रूप से कहें तो, एक विशेष प्रावधान 50 प्रतिशत से कम होना चाहिए; 50 प्रतिशत से कितना कम होगा यह प्रत्येक मामले में प्रासंगिक प्रचलित परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।"

यह काफी स्पष्ट है कि *बालाजी* मामले में 50% की सीमा के बारे में की गई टिप्पणियों को एक सटीक सूत्र के रूप में नहीं लिया जाना था।

एक वर्ष से भी कम समय में, इस न्यायालय ने *टी. देवदासन बनाम भारत संघ और अन्य*, [1964] 4 एससीआर 680 में एक अग्रेशन नियम के प्रभाव पर विचार करते हुए, जिसने (तीसरे वर्ष में) 50% से अधिक पदों के आरक्षण की अनुमति दी थी, यह निर्धारित किया कि 64.4% पदों का आरक्षण असंवैधानिक था। न्यायालय ने 4:1 के बहुमत से यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) के लिए एक परंतुक या अपवाद था और इसलिए इसकी व्याख्या इस प्रकार नहीं की जानी चाहिए जिससे मुख्य प्रावधान शून्य या नष्ट हो जाए, अन्यथा यह वास्तव में अनुच्छेद 16(1) के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की गारंटी को पूरी तरह से भ्रामक और अर्थहीन बना देगा; और आगे कहा:

"अनुच्छेद 16 के खंड (1) और (2) पर खंड (4) का अधिभावी प्रभाव केवल कुछ परिस्थितियों में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण की एक उचित संख्या बनाने तक ही विस्तृत हो सकता है। एक 'उचित संख्या' वह है जो पिछड़े वर्गों के दावों और अन्य नागरिकों के दावों के बीच एक उचित संतुलन बनाती है।"

इस प्रकार, आरक्षण उस सीमा तक वैध हैं जहाँ तक वे पिछड़े वर्गों को 'अधिक उन्नत वर्गों के सदस्यों के समान अवसर' प्रदान करते हैं। *देवदासन* के वाद में बहुमत के अनुसार, पिछड़े वर्गों के लिए अधिकतम अनुमेय सीमा वह है जिसके तहत वे और अन्य दोनों 'समान अवसर' का आनंद ले सकें। न्यायालय ने आगे कहा कि पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण इतना अत्यधिक नहीं होना चाहिए कि वह एकाधिकार पैदा करे या अन्य समुदायों के वैध दावों को अनुचित रूप से परेशान करे। *केरल राज्य और अन्य बनाम एन.एम. थॉमस और अन्य*, [1976] 1 एससीआर 906 में बहुमत ने *देवदासन* के वाद में न्यायमूर्ति सुब्बा राव की असहमतिपूर्ण राय को स्वीकार किया और माना कि अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) का

अपवाद नहीं है, बल्कि एक विधायी उपकरण है जिसके द्वारा संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद के अन्य प्रावधानों से बेरोकटोक शक्ति को संरक्षित किया है। यह अनुच्छेद 16(1) का ही एक पहलू है क्योंकि यह नागरिकों के अभावग्रस्त वर्गों के विशेष संदर्भ में अवसर की समानता के विचार को बढ़ावा देता है और आगे बढ़ाता है। अपनी असहमतिपूर्ण राय में, न्यायमूर्ति खन्ना ने स्वयं और न्यायमूर्ति ए.सी. गुप्ता की ओर से बोलते हुए, *देवदासन* के मामले में बहुमत के दृष्टिकोण का समर्थन किया कि अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) और (2) का अपवाद था। विद्वान न्यायाधीशों के अनुसार, अनुच्छेद 16(1) केवल औपचारिक या कानूनी समानता की धारणा को समाहित करता है और इसलिए अनुच्छेद 16 के खंड (1) की भाषा से अधिमान्य उपचार की किसी भी अवधारणा को निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है। *थॉमस* में, न्यायालय ने एक अग्रेशन नियम के आधार पर 68% तक आरक्षण को बरकरार रखा जो श्रेणी III के पदों से संबंधित था और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को पदोन्नति के लिए परीक्षा में बैठने से छूट की अनुमति देता था।

महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर, जो थॉमस में बहुमत का हिस्सा थे, *अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ (रेलवे) बनाम भारत संघ और अन्य*, [1981] 2 एससीआर 185 में अपने विचार से पीछे हट गए हैं, और माना है कि अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) और (2) का अपवाद है। सेवा के विशिष्ट संवर्गों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का पहले से ही उचित प्रतिनिधित्व था या नहीं, इस पर विचार करते हुए, न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4) के तहत नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि की और अग्रेशन नियम को बरकरार रखा। इस बात पर जोर दिया गया कि जो देखा जाना था वह समग्र चित्र था न कि किसी विशेष सेवा या संवर्ग तक सीमित। उनकी समग्रता में आरक्षित कोटे के लिए अधिकतम 50% को उचित और तर्कसंगत माना गया। न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी ने अपने सहमत निर्णय में टिप्पणी की:

“(ज)ब पदों को, चाहे प्रारंभिक नियुक्ति के चरण में हो या पदोन्नति के चरण

में, आरक्षित किया जाता है या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सदस्यों को अन्य अधिमान्य उपचार दिया जाता है, तो यह उन्हें दिया गया कोई रियायत या विशेषाधिकार नहीं है; यह अवसर की समानता के उनके निस्संदेह मौलिक अधिकार की मान्यता में है और राज्य पर अपने सभी नागरिकों को 'न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक', और 'प्रतिष्ठा और अवसर की समानता' सुरक्षित करने के लिए लगाए गए संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में है, ताकि 'सभी नागरिकों के बीच व्यक्ति की गरिमा' सुनिश्चित की जा सके; 'लोगों के कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देने' के लिए, देश के मामलों के प्रशासन में समान आधार पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और सामान्य रूप से एक 'संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य' के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए। सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उचित प्रतिनिधित्व सुरक्षित करने के लिए हर कानूनी तरीका अनुमेय है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण या अधिमान्य उपचार की कोई निश्चित सीमा नहीं है, हालांकि आम तौर पर आरक्षण पचास प्रतिशत से बहुत अधिक नहीं हो सकता है।”

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि संकेत के अनुसार 50% की अधिकतम सीमा कोई अनम्य नियम नहीं था, लेकिन पदों या नियुक्तियों के आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने में, राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के हितों को पूरे समुदाय के हितों के साथ समायोजित करने का संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए। *महाराष्ट्र राज्य बनाम शिवाजी वाई. गार्गे* सी.ए. संख्या 4117/84, जिसका निर्णय 19 अक्टूबर, 1984 को हुआ था, में इस न्यायालय ने 80% की सीमा तक पदों के आरक्षण को अत्यधिक और संविधान के

अनुच्छेद 16(1) के तहत गारंटीकृत सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता के सिद्धांत के विनाशकारी के रूप में माना और निर्देश दिया कि राज्य सरकार भविष्य में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को 46% से घटाकर 21% कर देगी, जिससे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त घुमंतू जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित 34% पदों को बरकरार रखा जा सके। इस प्रकार, समग्र चित्र यह था कि अनुच्छेद 16(1) के तहत पदों और नियुक्तियों का आरक्षण 80% से घटाकर 55% कर दिया गया था।

एक बार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण करने की शक्ति का प्रयोग करने के बाद, यह अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए कि उन रिक्तियों के उद्देश्य के लिए एक रोस्टर बिंदुवार, जिनके लिए आरक्षण किया गया है, प्रभावी किया जाना चाहिए और पूर्ण न्याय करने के लिए, एक अग्रगण्य नियम को इस तरह लागू किया जाना चाहिए कि किसी विशेष वर्ष में, 50% से अधिक आरक्षण न हो। 50 बिंदु रोस्टर के अनुसार, स्वीकार्य रूप से, उप निदेशक (होम्योपैथिक) का पद उप निदेशकों के संवर्ग में पहली रिक्ति थी और इसलिए इसे सामान्य यानी अनारक्षित माना जाना था।

*के.सी. वसंत कुमार और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य*, [1985] अनुपूरक एस.सी.सी. 714 के हालिया मामले में, हम में से एक (न्यायमूर्ति सेन) ने अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण की सीमा पर विचार करते हुए टिप्पणी की कि इसमें निहित सुरक्षात्मक भेदभाव के सिद्धांत और अनुच्छेद 335 के शासनादेश को एक विशेष सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह देखा गया:

“आरक्षण की वैधता या अन्यथा के बारे में प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष कई बार उठाए गए हैं और हल किए गए हैं। जिस आवृत्ति और जोश के साथ ये प्रश्न उठाए जाते हैं, वह समाज में उस तरीके के संबंध में तनाव और बेचैनी का एक परेशान करने वाला संकेत है जिस तरह से राज्य द्वारा अनुच्छेद

15(4) और अनुच्छेद 16(4) का संचालन किया जाता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के राष्ट्र के संकल्प को दर्शाती है: न्याय—सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय लाने और बनाए रखने के राज्य के उद्देश्य को सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए। राज्य द्वारा तर्कहीन और अनुचित कदम धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से समाज के ताने-बाने को फाड़ देंगे। यह मुख्य रूप से राज्य का कर्तव्य और कार्य है कि वह अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत लिए गए निर्णयों में संयम बरते, क्योंकि न्याय मनुष्यों के दिलों में रहता है और अन्याय और विपरीत भेदभाव की बढ़ती भावना, जो नासमझ राजकीय कार्रवाई से प्रेरित होती है, सामाजिक न्याय को आगे नहीं बढ़ाएगी बल्कि नष्ट कर देगी। यदि राज्य अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 335 के संवैधानिक शासनादेशों का उल्लंघन करता है, तो निश्चित रूप से इस न्यायालय को अपना कर्तव्य निभाना होगा।”

इसके बाद सावधानी बरतने का एक टिप्पणी जोड़ी गई:

“राज्य अपने लोगों की सेवा के लिए मौजूद है। कुछ सेवाएँ ऐसी होती हैं जहाँ विशेषज्ञता और कौशल ही सार होते हैं। उदाहरण के लिए, राज्य द्वारा संचालित अस्पताल जनता के उन बीमार सदस्यों की सेवा करता है जिन्हें चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। चिकित्सा सेवाएँ सीधे तौर पर आबादी के स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित करती हैं और उनसे निपटती हैं। उच्च स्तर के तकनीकी ज्ञान और परिचालन कौशल के ज्ञान और अनुभव से पैदा हुई पेशेवर विशेषज्ञता पायलटों और विमानन इंजीनियरों के लिए आवश्यक है। नागरिकों का जीवन ऐसे व्यक्तियों पर निर्भर करता है। सरकारी गतिविधि के अन्य समान क्षेत्र हैं जहाँ पेशेवर, तकनीकी, वैज्ञानिक या अन्य

विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। संघ या राज्यों के तहत ऐसी सेवाओं या पदों में, हमारा मानना है कि पदों के आरक्षण के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है; नियुक्तियों के लिए केवल योग्यता ही एकमात्र और निर्णायक विचार होनी चाहिए।”

एक और निर्णय है जो हमारा ध्यान आकर्षित करता है, अर्थात् *आरती राय चौधरी बनाम भारत संघ और अन्य*, [1974] 1 एससीआर 1 जहाँ एक अग्रेशन नियम के प्रभाव के परिणामस्वरूप 100% आरक्षण हुआ। देवदासन के मामले में निर्णय के बाद, गृह मंत्रालय ने अग्रेशन नियम को संशोधित करने के लिए एक ज्ञापन जारी किया ताकि निर्णय का अनुपालन किया जा सके। उक्त ज्ञापन को रेलवे बोर्ड द्वारा अपने 6 अक्टूबर, 1964 के पत्र द्वारा रेलवे सेवाओं में इसके अनुप्रयोग में उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया था। रेलवे बोर्ड ने आरक्षित और अनारक्षित रिक्तियों की बारी को दर्शाते हुए एक आदर्श रोस्टर तैयार किया। रोस्टर के साथ संलग्न टिप्पणी में यह प्रावधान किया गया:

“यदि किसी विशेष अवसर पर केवल दो रिक्तियां भरी जानी हैं, तो एक से अधिक को आरक्षित नहीं माना जा सकता है और यदि केवल एक रिक्ति हो, तो इसे अनारक्षित माना जाना चाहिए। यदि इस कारण से एक आरक्षित बिंदु को अनारक्षित माना जाता है, तो आरक्षण को बाद के दो भर्ती वर्षों में आगे बढ़ाया जा सकता है।”

आरक्षित पदों को अनारक्षित पदों में परिवर्तित होने की संभावना को कम करने के लिए, रेलवे बोर्ड ने 1971 में निम्नलिखित शब्द जोड़कर आरक्षण नियम को संशोधित किया:

“यदि एक पद भरा जाना हो, तो चयन अनिवार्यतः दो पदों के लिए किया जाना चाहिए, अर्थात् एक वास्तविक तथा दूसरा अप्रत्याशित परिस्थितियों की पूर्ति हेतु।

याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि अग्रेशन नियम संविधान के अनुच्छेद

14 और 16 का उल्लंघन है और खड़गपुर स्कूल की प्रधानाध्यापिका के पद की रिक्ति को अनारक्षित रिक्ति माना जाना चाहिए। तर्क को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की:

“16 जनवरी, 1964 के रेलवे बोर्ड के पत्र के साथ संलग्न आदर्श रोस्टर को *देवदासन* के मामले में निर्णय के सम्मान में तैयार किए गए नियमों से उत्पन्न नई स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पत्र और रोस्टर के साथ संलग्न टिप्पणी दोनों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि 'किसी विशेष अवसर पर केवल दो रिक्तियां भरी जानी हैं, तो एक से अधिक को आरक्षित नहीं माना जा सकता है और यदि केवल एक रिक्ति हो, तो इसे अनारक्षित माना जाना चाहिए'। 'एक विशेष अवसर पर' शब्दों को 2 सितंबर, 1964 को 'भर्ती के वर्ष' शब्दों से बदल दिया गया था। इस प्रकार, पहली बात तो यह है कि भर्ती के प्रत्येक वर्ष को अलग से और अपने आप में विचार करने का निर्देश दिया गया है जैसा कि *देवदासन* के मामले में निर्धारित किया गया है ताकि यदि भर्ती के किसी विशेष वर्ष में केवल दो रिक्तियां भरी जानी हैं, तो एक से अधिक रिक्ति को आरक्षित नहीं माना जा सके। दूसरी बात, और वह हमारे उद्देश्य के लिए सीधे प्रासंगिक है, यदि भर्ती के दिए गए वर्ष में केवल एक रिक्ति भरी जानी है, तो इसे अनारक्षित माना जाना चाहिए चाहे वह आदर्श रोस्टर में आरक्षित बिंदु पर ही क्यों न आती हो।” तब नियुक्ति इस आरोप के लिए खुली नहीं है कि आरक्षण 50% से अधिक है, क्योंकि यदि भर्ती के पहले वर्ष में पहली रिक्ति को व्यवहार में आरक्षित रिक्ति माना जाता है, तो प्रणाली इस आपत्ति के लिए खुली हो सकती है कि आरक्षण न केवल 50% से अधिक है बल्कि वास्तव में शत-प्रतिशत है। लेकिन यदि "इस कारण से", यानी इस आवश्यकता के

कारण कि पहली रिक्ति को व्यवहार में अनारक्षित माना जाना चाहिए भले ही वह आदर्श रोस्टर में आरक्षित बिंदु पर आती हो, "एक आरक्षित बिंदु को अनारक्षित माना जाता है", तो आरक्षण को बाद के दो भर्ती वर्षों से अधिक के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार, यदि दो रिक्तियां होती हैं, मान लीजिए, तीन वर्षों की प्रारंभिक अवधि के भीतर, तो पहली रिक्ति को अनारक्षित रिक्ति के रूप में और दूसरी को आरक्षित के रूप में माना जाना चाहिए।"

विद्वान न्यायाधीश ने माना कि खुले वर्ग ने 1966-67 में लाभ उठाया जब एक आरक्षित रिक्ति को *आरती राय चौधरी* एक खुले उम्मीदवार, श्रीमती गीता विश्वास की नियुक्ति द्वारा अनारक्षित माना गया। यदि अग्रेशन नियम को कोई अर्थ दिया जाना था, तो वित्तीय वर्ष 1968-69 की समाप्ति तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए रिक्ति को आगे बढ़ाया जाना था। इसलिए खड़गपुर रिक्ति याचिकाकर्ता को नहीं जा सकती थी जो स्वीकार्य रूप से आरक्षित वर्ग से संबंधित नहीं थी। यह आगे देखा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा नियम पर लगाया जाने वाला निर्माण एक सामाजिक अन्याय को कायम रखेगा जिसने मानवता के एक बड़े हिस्से के जीवन को धूमिल कर दिया है जो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसा निर्माण रेलवे बोर्ड के पत्र की स्पष्ट भाषा, नियम के आशय और उसके विधायी इतिहास के विपरीत था। इसलिए *आरती राय चौधरी* के मामले में निर्णय अग्रेशन नियम पर आधारित था और तथ्यों पर स्पष्ट रूप से अलग है।

*देवदासन* के मामले में निर्णय के बाद यह काफी स्पष्ट है कि अनुच्छेद 16(4) के तहत कोई भी आरक्षण इस तरह नहीं किया जा सकता जिससे एकाधिकार पैदा हो। अन्यथा, यह अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में निहित अवसर की समानता की गारंटी को पूरी तरह से अर्थहीन और भ्रामक बना देगा। ये सिद्धांत हमें अचूक रूप से इस निष्कर्ष पर ले जाते हैं कि यदि संवर्ग में केवल एक ही पद है, तो उस पद के संदर्भ में न तो प्रारंभिक चरण में भर्ती के

लिए और न ही उस पद के संबंध में भविष्य की रिक्ति को भरने के लिए कोई आरक्षण हो सकता है। एक आरक्षण जो अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आएगा, उस संवर्ग में कम से कम एक से अधिक पदों की उपलब्धता को पूर्व-कल्पित करता है।

हम, इन कारणों से, उच्च न्यायालय के उस निर्णय को बरकरार रखते हैं जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी आक्षेपित विज्ञापन के साथ-साथ अपीलकर्ता की उप निदेशक (होम्योपैथिक) के पद पर नियुक्ति को अभिखंडित कर दिया गया था। हम लोक सेवा आयोग को ऊपर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए पद को फिर से विज्ञापित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देते हैं। हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता 30 मई, 1979 से उस पद पर बना हुआ है और उस पद पर उसकी पुष्टि हो चुकी है, हम राज्य सरकार को उसे स्वास्थ्य विभाग में किसी समकक्ष पद पर समायोजित करने का निर्देश देते हैं। अपनी नियुक्ति के समय, अपीलकर्ता राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, रहरिया (सहरसा) का चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) था और स्वदेशी चिकित्सा निदेशालय में उप निदेशक (होम्योपैथिक) के उच्च श्रेणी पर उसकी नियुक्ति वस्तुतः उसके लिए एक पदोन्नति थी। उपयुक्त आदेश पारित करते समय सरकार द्वारा इसे ध्यान में रखा जा सकता है।

लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

एच.एस.के.

अपील खारिज कर दी गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।